

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1488(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1237(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधयपात्र फाउंडेशन, हरे कृष्ण हिल्स, चोर्ट रोड का पश्चिम, राजाजी नगर, बेंगलुरु-560010 द्वारा “मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2005-06 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 05 जुलाई, 2006 की अधिसूचना से का. आ.1008 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 856 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 481 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि 05 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या सं. का. आ. 1008 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 2263.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 856 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया था और दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं.का.आ. 481 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को दोबारा 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 900.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 400 करोड़ रुपये से 900.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) अक्षयपात्र फाउंडेशन, हरे कृष्ण हिल्स, चोर्ट रोड का पश्चिम, राजाजी नगर, बेंगलुरु-560010 द्वारा चलाई जा रही “मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 28 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1237 (अ) को निम्नलिखित आशय के साथ संशोधित करती है कि नामतः

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3, कॉलम (4) पर, धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में “400.00 करोड़ रुपये,” से संबंधित अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर “ 900.00 करोड़ रुपये से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.163/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक़बन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)